न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **स्वदीप सिंह**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 3158–पीबीआर/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 31–8–2012 पारित द्वारा तहसीलदार, कुक्षी जिला धार प्रकरण कमांक 4/अ–13/2011–12/अपील.

नारायण (मृत) वारिस

1 मोहन पिता स्व0 नारायण पाटीदार
2 सोहन पिता स्व0 नारायण पाटीदार
3 गोपाल पिता स्व0 नारायण पाटीदार
4 लक्ष्मीबाई पिता स्व0 नारायण पाटीदार
5 गिरधारी पिता स्व0 नारायण पाटीदार
6 धन्नयालाल पिता स्व0 नारायण पाटीदार
7 सुरेश पिता स्व0 नारायण पाटीदार
सभी निवासी कुक्षी जिला धार म0 प्र0

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1 महेशचन्द्र पिता कोरजी
2 सुरेश पिता कोरजी
3 कालूराम पिता कोरजी
4 देवकुंवरबाई बेवा हरी
सभी निवासी कुक्षी जिला धार

.....अनावेदकगण

श्री मोहन पाटीदार, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री पी0 जी0 पाठक, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(पारित दिनांक 6 मई, 2014)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, कुक्षी जिला धार द्वारा पारित आदेश 31–8–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार कुक्षी जिला धार के समक्ष संहिता की धारा 131 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि अनावेदकगण के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि पर कृषि प्रयोजन के लिये बैलगाडी एवं ट्रेक्टर ट्राली लाने ले जाने हेतु आवागमन का रूढिगत रास्ता आवेदकगण की भूमि सर्वे कमांक 100 के क्षेत्रफल में से कुक्षी तलावडी रोड़ की मुख्य सड़क के उत्तर दिशा की ओर सर्वे कमांक 100 रकबा 4.443 हेक्टर के पूर्व दिशा की ओर उत्तर–दक्षिण में है । उक्त रूढिगत रास्ते को आवेदकगण द्वारा मिट्टी डालकर एवं हल बखर से खोदकर अवरूद्ध कर दिया गया है, अतः उक्त रास्ता खुलवाया जाये । साथ ही संहिता की धारा 32 के अंतर्गत अंतरिम तौर से रास्ता खुलवाये जाने का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 4/अ–13/2011–12 पंजीबद्ध किया जाकर कार्यवाही प्रारंभ की गई । तहसीलदार द्वारा दिनांक 31–8–2012 को अंतरिम आदेश पारित कर प्रश्नाधीन रास्ता खुलवाये जाने का आदेश दिया गया । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से यही आधार उठाया गया है कि अनावेदकगण द्वारा अपनी भूमि पर पहूँचने हेतु आवेदकगण की भूमि सर्वे कमांक 100 में से रास्ता होना बतलाया गया है, जबकि आवेदकगण की भूमि का पुराना सर्वे कमांक 98 है, जो कि सर्वे नंबर 100 से बहुत दूर है । खसरा नंबर 98 का बंटवारा होने के कारण अनावेदकगण द्वारा षडयंत्र पूर्वक 98/4 के मालिक दिनेश को छोड़ते हुये अन्य बंटाकन का रास्ता मांगा है और अंतरिम आदेश पास होने के बाद सर्वे कमांक 98/4 के मालिक दिनेश को पक्षकार बनाया गया । इससे सिद्ध है कि अनावेदकगण द्वारा षडयंत्र पूर्वक आवेदन पत्र दिया गया है, अतः निगरानी स्वीकार की जाकर तहसीलदार का अंतरिम आदेश निरस्त किया जाये ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा अंतरिम आदेश पारित कर रास्ता खुलवाया गया है और अंतरिम रूप से

रास्ता खुलवाने के लिये विस्तृत जांच की आवश्यकता नहीं है । यह भी कहा गया कि तहसीलदार द्वारा जो अंतरिम आदेश पारित किया गया है उसमें आवेदकगण को संरक्षण प्रदान किया गया है कि आवेदकगण की फसल खडी होने पर ट्रेक्टर ट्राली का उपयोग न किया जाये और बैलगाडी भी बेलो के मूँह पर मुशक बांधकर निकाला जाये । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि यदि आवेदकगण द्वारा इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत नहीं की गई होती तो तहसील न्यायालय में प्रकरण का अंतिम रूप से निराकरण हो गया होता । तर्क के समर्थन में 1996 राजस्व निर्णय 10, 1988 राजस्व निर्णय292 एवं 1989 राजस्व निर्णय 340 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा विधिवत स्थल निरीक्षण किया गया है और स्थल निरीक्षण में प्रश्नाधीन रास्ता होना और उसे आवेदकगण द्वारा अवरूद्ध किया जाना पाया गया है । अतः अंतरिम रूप से प्रकरण के अंतिम निराकरण तक रास्ता खुलवाने का आदेश दिया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । चूँकि तहसीलदार द्वारा अपने अंतरिम आदेश में शर्तों का उल्लेख किया गया है कि आवेदकगण की फसल खडी होने पर अनावेदकगण ट्रेक्टर ट्राली का उपयोग नहीं करेंगे और बैलगाडी निकालते समय बेलो के मूँह में मुशक बाधकर बैलगाडी निकालेंगे, इस कारण आवेदकगण की फसल को नुकसान होना भी परिलक्षित नहीं होता है । चूँकि तहसीलदार द्वारा प्रकरण का अभी अंतिम रूप से निराकरण किया जाना है, जहां आवेदकगण को पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है और वे साक्ष्य से प्रश्नाधीन रास्ता नहीं होना अथवा रूढ़िगत रास्ता नहीं होना प्रमाणित कर सकते है । दर्शित परिस्थिति में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, कुक्षी जिला धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–8–2012 वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष